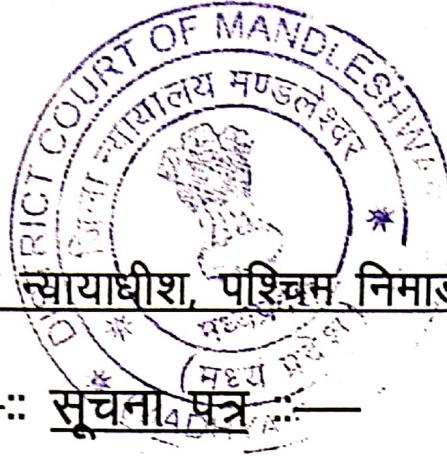




न्यायालय :- जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम निमाड, मण्डलेश्वर (म.प्र.)

—:: सूचना पत्र ::—

इस सूचना पत्र के माध्यम से समस्त संबंधित पक्षकारगण एवं अधिवक्तागण को सूचित किया जाता है कि कोरोना वाईरस के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी एडवाईजरी एवं दिशानिर्देश दिनांकित 17.03.2020 के परिपालन में इस न्यायालय में पूर्व से दिनांक 23.03.2020 से दिनांक 31.03.2020 तक नियत समस्त प्रकार के लंबित सिविल एवं आपराधिक प्रकरण (जमानत आवेदन एवं निषेधाज्ञा से संबंधित आवश्यक प्रकृति के प्रकरणों को छोड़कर) उसी प्रक्रम पर कॉलम नंबर 3 में अंकित नियत तिथि पर सुनवाई हेतु लिये जावेंगे।

क्रमांक	पूर्व से नियत दिनांक	आगामी नियत दिनांक
1.	23.03.2020	01.04.2020
2.	24.03.2020	03.04.2020
3.	26.03.2020	07.04.2020
4.	27.03.2020	08.04.2020
5.	30.03.2020	09.04.2020
6.	31.03.2020	15.04.2020

(बी.आर. पाटिल)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
पश्चिम निमाड, मण्डलेश्वर (म.प्र.)

न्यायालय:- विशेष न्यायाधीश, अजा/अजजा
(अत्याचार निवारण) अधिनियम, पश्चिम निमाड,
मण्डलेश्वर,

सूचना पत्र

माननीय उच्च न्यायालय म. प्र. जबलपुर के पत्र क्रमांक 345/2020 दिनांक 17-03-2020 में प्रसारित दिशा-निर्देशों के संदर्भ में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय में लंबित समस्त दिवानी एवं आपराधिक प्रकरण निम्न सारणी अनुसार आगामी नियत दिनाकों को सुनवाई में लिये जावेंगे:-

अनुक्र.	पेशी दिनांक	आगामी नियत दिनांक
1.	23.03.2020	08.04.2020
2.	24.03.2020	09.04.2020
3.	25.03.2020 गुडी पड़वा अवकाश	—
4.	26.03.2020	15.04.2020
5.	27.03.2020	16.04.2020
6.	28.03.2020	—
7.	29.03.2020 रविवार अवकाश	—
8.	30.03.2020	17.04.2020
9.	31.03.2020	20.04.2020

तदनुसार समस्त अभिभाषकगण एवं पक्षकारगण
सूचित हो।

Sheshwar
(साधना माहेश्वरी)
विशेष न्यायाधीश,
अजा/अजजा (अत्याचार निवारण) अधिनियम
1989, पश्चिम निमाड मण्डलेश्वर

न्यायालय:-प्रवीण हजारे, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
प0नि0 मण्डलेश्वर(म.प्र.)

क...20.1.../2020

मण्डलेश्वर, दिनांक 23-03-2020

कोरोना वायरस (कोविड-19) के संबंध में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा जारी एडवायजरी/इंस्ट्रक्शन पृष्ठांकन क. बी/1674/11:15-7/2020 जबलपुर दिनांकित 16.03.2020 एवं एडवायजरी क. 345/आरजी/2020 दिनांक 17.03.2020 तथा शासन एवं प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गये निर्देशानुसार **समस्त प्रकरणों में पक्षकारगण के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से विरत रहने के निर्देश दिये गये हैं।**

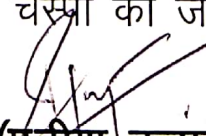
माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार केवल जमानत संबंधी प्रकरण एवं स्थगन से संबंधित अति आवश्यक कार्य ही किया जावेगा। शेष कार्यवाहियों जिनमें अंतिम तर्क भी सम्मिलित है, दिनांक 31.03.2020 तक स्थगित रहेंगे।

तदनुसार इस न्यायालय में नीचे दर्शाए गए नियत दिनाकों में नियत प्रकरणों में उनके सम्मुख अंकित नियत दिनांक को यथास्थिति सुनवाई हेतु ग्राह्य किए जायेंगे।

सिविल एवं आपराधिक नियत प्रकरणों की तिथियाँ

क्रमांक	नियत दिनांक	आगामी नियत दिनांक
01	23.03.2020	20.04.2020
02	24.03.2020	21.04.2020
03	26.03.2020	25.04.2020
04	27.03.2020	27.04.2020
05	28.03.2020	28.04.2020
06	30.03.2020	29.04.2020
07	31.03.2020	30.04.2020

इस आदेश की एक प्रति इस न्यायालय के सूचना पटल पर तथा दूसरी जिला न्यायालय के मुख्य द्वार के सूचना पटल पर चस्मा की जाये।


(प्रवीण हजारे)

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर

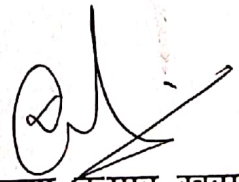
न्यायालय:-द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम निमाड
मण्डलेश्वर म.प्र.

// सूचना-पत्र //

माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा जारी एडवायजरी/निर्देश दिनांक 17.03.2020 के अनुपालन में समस्त सम्माननीय अधिवक्तागण एवं संबंधित पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 20.03.2020 से 31.03.2020 तक **इस न्यायालय** में सुनवाई हेतु नियत समस्त सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों में (अत्यावश्यक प्रकृति के प्रकरण जमानत आवेदन पत्र/ निषेधाज्ञा संबंधित आवेदन पत्रों को छोड़कर) निम्नानुसार आगामी तिथि नियत की जाती है:-

कं.	नियत पेशी दिनांक	आगामी नियत पेशी दिनांक
1.	दि. 23.03.2020	07.04.2020
2.	दि. 24.03.2020	08.04.2020
3.	दि. 26.03.2020	15.04.2020
4.	दि. 27.03.2020	17.04.2020
5.	दि. 28.03.2020	20.04.2020
6.	दि. 30.03.2020	21.04.2020
7.	31.03.2020	21.04.2020




(अरुण कुमार खरादी)
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
पश्चिम निमाड मण्डलेश्वर(म.प्र.)
अरुण कुमार खरादी
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
प.नि मण्डलेश्वर

न्यायालय :- श्रीमती आरती शर्मा जनन्यतः विशेष न्यायाधीश पाकस्तो
आधिनियम परिवहन निनाइ मण्डलेश्वर

कमांक...../आप.

मण्डलेश्वर, दिनांक 20/03/2020

कोरोना वायरस(कोविड-19) के संबंध में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा जारी एडवायजरी/इस्टवशन नुमांकन का बी/16/4/1115-1/2020 जबलपुर दिनांकित 16.03.2020 एवं एडवायजरी क 345/आरजी/2020 दिनांक 17.03.2020 तथा शासन एवं प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गये निर्देशानुसार जनस्त प्रकरणों में प्रत्येक प्रकरण के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से निराकरण के निर्देश दिये गये हैं।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार केवल जमानत संबंधी प्रकरण एवं स्थगन से संबंधित अति आवश्यक कार्य ही किया जावेगा। शेष कार्यवाहियों जिनमें अन्तिम तक भी सम्मिलित है दिनांक 31.03.2020 तक स्थगित रहेंगे।

तदनुसार इस न्यायालय में नीचे दर्शाए गए नियत दिनांको में नियत प्रकरणों को उनके सम्मुख अंकित नियत दिनांक को यथास्थिति सुनवाई हेतु ग्राह्य किए जायेंगे।

सिविल एवं आपराधिक नियत प्रकरणों की तिथियां।

क्र.	नियत दिनांक	आगामी नियत दिनांक
1	20.03.2020	21.04.2020
2	21.03.2020	—
3	23.03.2020	23.04.2020
4	24.03.2020	24.04.2020
5	26.03.2020	27.04.2020
6	27.03.2020	28.04.2020
7	28.03.2020	29.04.2020
8	30.03.2020	04.05.2020
9	31.03.2020	05.05.2020

इस आदेश को एक प्रति इस न्यायालय के सूचना पटल पर तथा दूसरी जिला न्यायालय के मुख्य द्वार के सूचना पटल पर चरपा की जाये।

[श्रीमती आरती शर्मा]
जनन्यतः विशेष न्यायाधीश
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण
अधिनियम (पाकस्तो अधिनियम) मण्डलेश्वर

P.O. महोदय -

94250-07073

राहुल बाबुजी -

70499-81321

न्यायालय: श्रीमती संगीता डायर मौर्य, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी,
प०निमाड- मण्डलेश्वर(म०प्र०)

जा०क्र०-240/आप०

मण्डलेश्वर, दिनांक 21-03-2020

सूचना

कोरोना वायरस (कोविड-19) के सम्बन्ध में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा जारी एडवायजरी/इंस्ट्रक्शन पृष्ठांकन क्रमांक बी/1674/11:15-7/2020, जबलपुर दिनांकित 16-03-2020 एवं एडवायजरी क्रमांक 345/आरजी/ 2020 दिनांक 17-03-2020 तथा शासन एवं प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशानुसार समस्त प्रकरणों में पक्षकारण के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से विरत रहने के निर्देश दिए गए हैं।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार केवल जमानत संबंधी प्रकरण एवं स्थगन से सम्बन्धित अति आवश्यक कार्य ही किया जावेगा। शेष कार्यवाहियाँ, जिनमें अंतिम तर्क भी सम्मिलित है, दिनांक 31-03-2020 तक स्थगित रहेंगे।

तदनुसार इस न्यायालय में नीचे दर्शाए गए नियत दिनांको में नियत प्रकरणों को उनके सम्मुख अंकित नियत दिनांक को यथास्थिती सुनवाई हेतु ग्राह्य किए जाएंगे।

सिविल एवं आपराधिक नियत प्रकरणों की तिथियाँ

क्रमांक	नियत दिनांक	आगामी नियत दिनांक
01	23-03-2020	28-04-2020
02	24-03-2020	29-04-2020
03	26-03-2020	30-04-2020
04	27-03-2020	04-05-2020
05	28-03-2020	05-05-2020
06	30-03-2020	05-05-2020
07	31-03-2020	05-05-2020

{ श्रीमती संगीता डायर मौर्य }
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
प. नि. मण्डलेश्वर(म.प्र.)